यौन शोषण का आरोप : जस्टिस गोगोई ने कहा, साजिश के पीछे है बड़ा हाथ

छुट्टी के दिन चीफ जस्टिस अगर विशेष बेंच बना कर सुनवाई करते हैं तो मामला इतना न आसान है और न ही छोटा. पहले देखते हैं कि आरोप क्या हैं.

सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने आरोप लगाया कि जस्टिस गोगोई नें महिला को उसकी मर्जी के बगैर गलत ढंग से छुआ. महिला के एफिडेविट के मुताबिक घटना अक्टूबर 2018 की है. महिला जस्टिस गोगोई के घर पर दूसरे और स्टाफ के साथ कार्यरत थी. महिला का आरोप है कि उसके विरोध करने के बाद उसे नौकरी से निकाला गया, उस पर केस डाले गए और तिलक मार्ग थाने में उसे पुलिस यातना भी सहनी पड़ी. जेल भी गई और उसके पति और भाई जो दिल्ली पुलिस में हैं उन्हे सस्पेंड भी किया गया. रिपोर्टों के मुताबिक एफिडेविट के साथ वीडियो क्लिप भी हैं जिसमे आरोप लगाने वाली महिला जस्टिस गोगोई से माफी भी मांगती दिख रही है.

जस्टिस गोगोई की तरफ से सुपीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. क्या ये एक बड़ी साजिश है ?

विशेष सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि इस महिला के पीछे कोई बड़ा हाथ है और चीफ जस्टिस की अदालत को निष्क्रिय करने की साजिश है. आरोप जांच का विषय हैं लेकिन जिस तरह गुड फ्राइडे की छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों के घर ये एफिडेविट भेजे गए वो रहस्यमय है, और जस्टिस गोगोई की बात को विश्वास योग्य ठहराते हैं.

जस्टिस गोगोई ने ये भी कहा कि उन्हें अगले सप्ताह कुछ बड़े मामलों की सुनवाई करनी है और ये साजिश उसी को प्रभावित करने का हिस्सा है. जिन बढ़े केसों की तरफ जस्टिस गोगोई का इशारा है उनमे राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना और प्रधानमंत्री मोदी पर बनी फिल्म को चुनाव से पहले रिलीज करने के मामले हैं. पिछले सप्ताह ही गोगोई राफेल पर भी सरकार की दलील खारिज कर मीडिया में आए दस्तावेजों को जांच के दायरे में लाने का फैसला कर चुके हैं.

अगर ये साजिश है तो गोगोई ने शनिवार की छुट्टी के दिन विशेष बेंच बैठा कर इसे निष्क्रिय कर दिया है ? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में अपने आप दिख जाएगा.

लेकिन इस साजिश के पीछे वो 'बड़ा हाथ' किसका है, इस राज से पर्दा उठाना लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की सेहत के लिए आवश्यक है.

सवाल और भी हैं जिनका उठना लाजिमी है. रिपोर्टों के अनुसार सरकार को इन आरोपों की जानकारी जनवरी महीने से ही थी. क्या इन आरोपों का इस्तेमाल गोगोई को प्रभावित करने में किया गया ? क्या राफेल पर जस्टिस गोगोई का फैसला कारण बना 22 जजों के घर एफिडेविट पहुंचने का ?

गोगोई इन सब सवालों का जवाब चीफ जस्टिस की तरह उन खास मामलों पर आदेशों से दे सकते हैं और जनता की अदालत में खरे भी उतर सकते हैं. उनके सभी फैसले अब इसी आइने से देखे जायेंगे.

- प्रशांत टंडन

गंगा की सफ़ाई के दावे को पूरा कर पाई सरकार: रियलिटी चेक

नितिन श्रीवास्तव

जब नरेंद्र मोदी साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने देश के नागरिकों से एक वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि वो प्रदूषित गंगा नदी को साफ करने का काम करेंगे।

साल 2015 में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने इसके लिए पांच साल का कार्यक्रम की शुरुआत की और 300 करोड़ रुपये भी रखे। जब नरेंद्र मोदी साल प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने देश के नागरिकों से एक वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि वो प्रदूषित गंगा नदी को साफ करने का काम करेंगे।

बीते साल दिसंबर में

सच भी यही है कि गंगा की सफाई का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है।

कानपुर में शहर का कचरा समेटता ये नाला सीधे गंगा में जा कर मिलता है

आखिर गंगा मैली क्यों है ?

भारत में हिंदु धर्म माने वाले गंगा को पवित्र नदी मानते हैं.। ये नदी हिमालय में गंगोत्री से निकल कर वाराणसी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

इसके तट पर हज़ारों शहर और गांव बसे हैं. आज के दौर में गंगा नदी के सामने जो मुश्किलें हैं उनमें मुख्य हैं –

कारखानों से निकलने वाला ज़हरीला प्रदूषित पानी घर और कारखानों से निकलने वाला कचरा प्लास्टिक जो बड़ी मात्रा में नदी में फेंका जा रहा है।

खेती के लिए भूतल जल का दोहन

पानी के बहाव को रोकने वाले बांध जिनका पानी सिंचाई और दूसरे काम के लिए किया जा रहा है।

पिछली सरकारों ने गंगा को साफ करने के कई प्रयास किए हैं लेकिन उसका परिणाम कभी सही रूप में दिखा नहीं।

वर्तमान सरकार ने 2015 से हर साल गंगा की सफाई पर किए परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाया है।

लेकिन जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और इसका जिक्र सरकार की 2017 की ऑडिट रिपोर्ट में भी किया गया है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो सालों में उपलब्ध कराए गए बजट का एक चौथाई से भी कम खर्च किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजनाओं के अनुमोदन में देरी, योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए बजट का कम खर्च किया जाना और मानव संसाधनों की कमी के चलते तय लक्ष्यों को पूरा करने में देरी हो रही है।

पिछले साल संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 236 सफाई परियोजनाओं में से महज 63 को ही पूरा किया गया था।

सरकार का अब कहना है कि मार्च 2019 तक गंगा 70 से 80 फीसदी स्वच्छ हो जाएगी और अगले साल तक 100 फीसदी का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

कुछ हिस्सों में सुधार के भी संकेत मिले हैं. छह अति प्रदूषित क्षेत्रों के पानी के नमूनों की जांच करने वाले विशेषज्ञों की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि पानी की गुणवत्ता ऑक्सीजन के मामले में सुधर रही है, जो जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।

अभी भी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी के मुख्य भाग पर बसे 97 शहर हर दिन 2.9 अरब लीटर प्रदूषित जल छोड़ते हैं, जबकि इन्हें साफ करने की वर्तमान क्षमता केवल 1.6 अरब लीटर प्रतिदिन है।

इसका मतलब यह हुआ कि हर दिन एक अरब लीटर से अधिक प्रदूषित जल नदियों में प्रवेश करता है। इनमें सीवर के प्रदूषित जल भी शामिल हैं।

इसी रिपोर्ट का अनुमान है कि 2035 तक इस इलाक़े में हर दिन 3.6 अरब लीटर प्रदूषित जल छोड़े जाने लगेंगे।

रिपोर्ट यह भी कहती है कि 46 शहरों के 84 ट्रीटमेंट प्लांट में से 31 काम नहीं कर रहे हैं। वहीं, इसके अलावा **सफाई पर खर्च**

सीवेज ट्रीटमेंट	3.5 हज़ार करोड़
नदी क्षेत्र में शौचालय निर्माण	951 करोड़
तटों की सफाई	709 करोड़
वानिकी परियोजनाएं	114 करोड़
पानी की गुणवत्ता की अनुसंधान और शिक्षा	38 करोड़ 20 करोड़

ख़र्च करोड़ रुपए में (सितंबर 2018 तक)

प्रदूषण रोकने के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं। कानपुर औद्योगिक क्षेत्र के चमड़ा उद्योग से निकलने वाले जहरीले पानी को गंगा में गिराने पर रोक लगा दी गई है।

धार्मिक आयोजनों पर इस्तेमाल होने वाले गंगा के स्नान क्षेत्रों को भी साफ किया गया है।

लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पिछले साल की जून की रिपोर्ट कहती है कि 41 में से सिर्फ चार जगह ही इनकी जांच में साफ़ या कम प्रदूषित पाए गए थे।

गंगा की सफाई की प्रगति पर सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गंगा का पानी ही केवल पीने लायक है. यहां के पानी को किटाणुरहित किया गया था।

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि गंगा को साफ करने की दिशा में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। यहां तक की सरकार ने लक्ष्य को प्राप्त करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है।

दिल्ली स्थित शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरन्मेंट के चंद्र भूषण कहते हैं, "शुरुआत के चार साल बाद, अब तक के प्रयासों से पानी की गुणवत्ता में कोई ख़ास बदलाव आने की उम्मीद नहीं दिख रही है।"

उनका मानना है कि मार्च 2019 तक 80 फीसदी गंगा और मार्च 2020 तक पूरी नदी की सफाई का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा नहीं होगा।

सीजेआई से पत्रकार पूछें सवाल, अब डेमोक्रेसी बचाने और डेंजर से बचने के लिए क्या किया जा रहा है : इंदिरा जयसिंह

जब 'कारवां' ने जज लोया की मौत से जुड़ी खबर को प्रकाशित किया तो पूरे देश में हलचल मची। उसके बाद एक बड़े अखबार ने इस स्टोरी को दबाने के लिए स्टोरी की। ये एक बड़ा झटका था कि जो अख़बार साहसी पत्रकारिता का दावा करता है वही एक संदिग्ध मौत के मामले में नये सवाल उठाने की बजाय उस स्टोरी में क्या कमियां हैं इसे उजागर करता है।

नई दिल्ली, जनज्वार। देश की राजनीति और व्यवस्था का सच क्या है, यह 'सत्ता की सूली' पुस्तक में दर्ज है। यह पुस्तक तीन पत्रकारों महेंद्र मिश्रा, प्रदीप सिंह और उपेंद्र चौधरी ने लिखी है। यह पुस्तक जज लोया समेत कई संदिग्ध मौतों की कहानी हमारे सामने रखती है। सत्ता के परत दर परत सच को खोलने वाली पुस्तक 'सत्ता की सूली' पुस्तक का विमोचन 15 अप्रैल को दिल्ली प्रेस क्लब तो 16 अप्रैल को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्मृति भवन किया गया।

दिल्ली प्रेस क्लब में पुस्तक का विमोचन करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल ने कहा कि "न्यायपालिका को सिर्फ़ फ़ैसला नहीं देना चाहिए, बल्कि फ़ैसले में न्याय हुआ है ये भी दिखना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि न्यायपालिका हमेशा न्याय नहीं करती है। कभी-कभी सिर्फ़ जजमेंट होता है और उसमें न्याय नहीं होता। लोया का केस इसका उदाहरण है।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस कोलसे पाटिल ने कहा कि सत्ता से डरने की बजाय उससे संघर्ष करने की जरूरत है। सरकार बहुत करेगी आपको कुछ दिन जेल में डाल देगी। लेकिन इससे डरना नहीं है। लोग अपने को अमेरिका और इग्लैंड रिटर्न कहते हैं लेकिन मैं अपने को जेल रिटर्न कहता हूं। जनता के हित में संघर्ष करते रहिए, कभी न कभी सफलता मिलेगी।

इस पूरे प्रकरण में पीडित और गवाह नागपुर से आये अधिवक्ता सतीश यूके ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में जज लोया की मौत से जुड़े रिकॉर्ड को एक-एक करके जमा कराया जा रहा था। तभी मुझे संदेह हुआ और हमने जज लोया की मौत से जुड़े ढेर सारे दस्तावेजों को बचा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि इस केस का क्या हश्र होने वाला है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जज लोया मामले से जुड़े होने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने उनको बहुत परेशान किया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस के लोगों ने उन्हें धमकी दी, प्रशासन ने परेशान किया। उन पर जानलेवा हमले हुए।

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि यह किताब उन तमाम कड़ियों को जोड़ती है जिसमें एक एक मौत के बाद दूसरी मौत होती चली जाती है। उन्होंने लोकतंत्र और उसके ख़तरों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चार जजों का बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भी याद किया और कहा कि आज उनमें से एक जज हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने उस समय डेमोक्रेसी को डेंजर बताया था। इस बात को पूरे देश ने महत्व दिया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे चीफ जस्टिस से ये सवाल ज़रूर पूछें कि आज भी वही डेमोक्रेसी और वही डेंजर है जो जनवरी, 2018 में था लेकिन वे आज इसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं।

वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने चिंता जताई कि आज मीडिया में फॉलोअप स्टोरी नहीं हो रही है। जज लोया से जुड़ी स्टोरी को जब कारवां पत्रिका ने प्रकाशित किया तो पूरे देश में हलचल मची। उसके बाद एक बड़े अखबार ने इस स्टोरी को दबाने के लिए स्टोरी की। ये एक बड़ा झटका था कि जो अख़बार साहसी पत्रकारिता का दावा करता है वही एक संदिग्ध मौत के मामले में नये सवाल उठाने की बजाय उस स्टोरी में क्या कमियां हैं इसे उजागर करता है। उन्होंने हिन्दी पत्रकारों से खोजी पत्रकारिता और फॉलोअप स्टोरी पर ध्यान देने की अपील की।

पूर्व आईपीएस विकास नारायण राय ने क्रिमिनल प्रोसीजर में कमियों और राज्य के नजरिये में कमी को फोकस करते हुए बताने की कोशिश की कि कैसे अपराधी छूट जाते हैं। इस मामले में उन्होंने पूरी प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत पर बल दिया।

भाकपा-माले नेता कविता कृष्णन ने लोया मामले की शुरुआत का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे जब आप किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं तो सत्ता से जुड़े लोग आपकी आवाज को दबाने के लिए आपको बदनाम करने लगते हैं।

अहमदाबाद के सरदार पटेल स्मृति भवन में सत्ता की सूली पुस्तक के विमोचन समारोह में मशहूर गुजराती लेखक एवं निरीक्षक पत्रिका के संपादक प्रकाश शाह, पूर्व आईपीएस और लेखक राजन प्रियदर्शी, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव पटेल, पाटीदार अनामत आंदोलन के अतुल पटेल और मजदूर पंचायत के नेता जयंती पंचाल मौजूद थे।

शुरुआत में जनचौक के संपादक महेंद्र मिश्र ने पुस्तक का संक्षेप में विवरण दिया। जज लोया की संदिग्ध मौत को लेकर सबसे पहले कारवां मैगज़ीन ने खुलासा किया था। शुरू में हम लोग फॉलो अप स्टोरी कर रहे थे।, लेकिन कुछ समय बाद जब मालिकान के दबाव में कारवां ने उन खबरों से किनारा करना शुरू किया तब आगे की जिम्मेदारी जनचौक ने संभाली। हालांकि बाद में मजबूरी बस ही सही कारवां को भी खबरें छापनी पड़ीं। मिश्र ने आगे बताया इस पुस्तक में हमारा अपना कोई विचार नहीं है, सबकुछ तथ्यों, दस्तावेजों तथा प्रकाशित खबरों पर आधारित है।

पहले हम अपने आप को केवल जज लोया तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु सारा मामला हरेन पांड्या और दूसरे कुछ पीड़ितों से जुड़ा हुआ था। इस मामले में सीधे-सीधे कुछ व्यक्तियों पर आरोप थे। लिहाजा पंड्या और लोया के बीच और उससे आगे की दूसरी मौतें मसलन सोहराबुद्दीन, कौसर बी, तुलसीराम प्रजापति, एडवोकेट श्रीकांत खंडेलकर, रिटायर्ड जज प्रकाश थ्रोम्बे की मौतें भी इसी कड़ी का हिस्सा बन गयीं। किताब में सारी चीजें डॉक्यूमेंट के आधार पर दी गयी हैं।

प्रकाश शाह ने कहा कि "इसे किताबी शक्ल देना एक बुनियादी कार्य है।" शाह ने प्रशांत दयाल द्वारा जगृति पांड्या के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि "सत्ता के दबाव में परिवार के लोगों ने घटना को भूल जाना ही बेहतर समझा। ऐसे में कुछ लोगों ने (पत्रकार) पूरी घटना की कड़ी को जोड़ कर दस्तावेज़ तैयार किया है। यह एक बड़ा कार्य हुआ।" सुखदेव पटेल ने "सत्ता की सूली" किताब लिखे जाने को ऐतिहासिक कार्य बताते हुए लेखकों को बधाई दी।

पाटीदार नेता अतुल पटेल ने सत्ता में बैठे लोगों को दमनकारी बताते हुए कहा कि अहिंसा के राज्य में इन लोगों ने हिंसा के रास्ते से सत्ता में पकड़ बनाई है। हम लोग आंदोलनकारी हैं, लेकिन हमने किसी को पत्थर नहीं मारा है, फिर भी सरकार ने मेरे खिलाफ 19-19 धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया है। इनके कारण ईमानदार पत्रकार मुख्यधारा से हटकर पोर्टल के माध्यम से आवाज़ें उठा रहे हैं, हम लोग ऐसे पत्रकारों के साथ हैं।"

राजन प्रियदर्शी ने अपने पुलिस में रहने के दौरान नरेंद्र मोदी समेत सत्ता में बैठे लोगों से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि सत्ता कैसे पुलिस का दुरुपयोग करती है। अपने तजुर्बे को साझा करते हुए उन्होंने इस किताब के लेखन को हिम्मतवाला कार्य बताया।